तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मता आदेश की पालना में दिनांक 21-11-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 29/11/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० नायब तहसीलदार बाँदीकुई रिपोर्ट दिनांक 29.11.24 प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 29/11/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 103 / 2024
प्रकरण दायर दिनांक 18.07.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 29.11.2024

उनवान

1. लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल जाति बैरवा निवासी आशापुरा श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई

बनाम

1. तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

" प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल. एक्ट"

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 82 पुराना 77 के खसरा नं. 201, 202, 209 लगा. 218, 308 लगा. 311, 313 लगा. 323 कुल किता 27 कुल रकबा 3.013 हैक्टे. एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे. वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है भूमि मुतदाविया में दर्ज खातेदारी लल्ली देवी पुत्री धन्ना जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 83 एवं 83 दर्ज है जबकि प्रार्थीया धन्नालाल की पत्नी है। सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, पेंशनडायरी, राशनकार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेजात में लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल दर्ज है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का लल्ली देवी पुत्री धन्नाराम हजफ कियाा जाकर प्रार्थीया का दस्तावेजों के आधार से लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया ने दिनांक 06.07.2023 को अप्रार्थी से उक्त गलत रिकॉर्ड को दुरूस्त करने की कही तो अप्रार्थी सं. 01 साफ इंकार हो गया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का उक्त भूमि ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 82 पुराना 77 के खसरा नं. . 201, 202, 209 लगा. 218, 308 लगा. 311, 313 लगा. 323 कुल किता 27 कुल रकबा 3.013 हैक्टे. एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे. वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है में लल्ली देवी पुत्री धन्नालाल हजफ किया जाकर प्रार्थीया का दस्तावेजो के आधार से लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल की दुरूस्ती करवाने की कृपा करें।

प्रार्थीया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस की गयी। प्रकरण में नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 प्राप्त हुई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया वकील एवं पैरोकार सरकार बहस सुनी गयी। प्रार्थिया वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 ग्राम मुकरपुरा खाता सं. नया 83 पुराना 78 एवं खाता सं. नया 82 पुराना 77 में प्रार्थिया का नाम लल्लीदेवी

Scanned with OKEN Scanner

पुत्री धन्ना दर्ज है। पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम लल्ली देवी पत्नि धन्नालाल अंकित है। नायब तहसीलदार बांदीकुई रिपोर्ट दिनांक 29.11.2024 के अनुसार वादी का नाम जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 82 में लाली देवी पुत्री धन्ना दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में लल्ली देवी पुत्री धन्नालाल है एवं उक्त खाते में डबल नाम में से एक नाम में लल्ली देवी पुत्री धन्ना दर्ज रिकॉर्ड है। वादी से शपथ पत्र लिया जाकर नाम की शुद्धि की जाती है प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 के अवलोकन से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थिया का नाम लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल के स्थान पर लल्ली देवी पुत्री धन्नालाल सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात एवं नायब तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांकः 29.11.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खाता सं. नया 82 पुराना 77 के खसरा नं. 201, 202, 209 लगा. 218, 308 लगा. 311, 313 लगा. 323 कुल किता 27 कुल रकबा 3.013 हैक्टे. एवं खाता संख्या नया 83 पुराना 78 के आराजी खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हैक्टे. वाके रामा मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में दर्ज प्रार्थिया का नाम लल्ली देवी पुत्री धन्नालाल हजफ किया जाकर लल्ली देवी पत्नी धन्नालाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

29/11/24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई